लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, प्रो0: लालती देवी, पिता–मेदनी राय, द्वितीय तल, प्लौट नं0–388 / 389, बिस्कुट फैक्ट्री मोड़, नासरीगंज, पो0 एवं थाना–दानापुर, जिला–पटना द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–06 मौजा–रामपुर वैना, प्रखण्ड–अरवल, जिला–अरवल अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 20.06.2023 को अपराह्न 01.54 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के टाउन हॉल, अरवल, जिला–अरवल के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2088/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्ता, अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अपराह्न 01:54 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के टाउन हॉल, अरवल, जिला–अरवल में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–06, मौजा–रामपुर वैना, प्रखण्ड–अरवल, जिला–अरवल के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रविरंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री विजय कुमार, पिताः श्री रामप्रवेश सिंह, ग्राम–फतेहपुर पन्डर, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोकथाम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री विजय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

2.	श्री आनन्द कुमार पप्पु, पिताः दिलकेश्वर सिंह, ग्राम–फतेहपुर पन्डर, जिला–अरवल।	इनके द्वारा वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया तथा रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि सड़क के किनारे एवं खाली जगहो पर वृक्ष लगाये जायेगे। जिसके देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को ही उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री आनन्द कुमार पप्पु को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री अमरेश कुमार, पिताः रामाधार सिंह, ग्राम–रामपुर वैना, जिला–अरवल।	इनके द्वारा पूछा गया कि गॉव के ग्रामीणों के लिए बालू पर Royalty नही लगाने का एवं बरसात में सड़क खराब होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके इस सुझाव पर विचार किया जायेगा। साथ ही बरसात खत्म हो जाने पर सड़क की मरम्मती करायी जायेगी। इसप्रकार श्री अमरेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री रूपेश कुमार, पिताः जगदेव सिंह, ग्रामः मिर्जा बिगहा, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू खनन के बाद वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन करने से संबंधित सुझाव दिया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री रूपेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री आनंद कुमार सिंह, पिताः स्व0 महेन्दर सिंह, ग्रामः रामपुर वैना, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान खनन क्षेत्र के आस–पास खेती होने के बारे में समस्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण एवं दिन में तीन से चार बार जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। इसप्रकार श्री आनंद कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

अपर समाहर्ता
अरवल

<u>उपस्थिति सूची</u>

मेसर्स बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो०: लालती देवी, पिता—मेदनी राय, द्वितीय तल, प्लौट नं०—388 / 389, बिस्कुट फैक्ट्री मोड़, नासरीगंज, पो० एवं थाना—दानापुर, जिला—पटना द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट—06, मौजा—रामपुर वैना, प्रखण्ड—अरवल, जिला—अरवल का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 20.06.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में टाउन हॉल, अरवल, जिला—अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	J. Kumar	ADM	[signature] 20/6/2023
2.	Manoranjan Kr. Singh	R.O. B.S.P.C.B. Gaya	[signature] 20.6.23
3.	Navendu Singh	MDO, Arwal	[signature] 20/06/23
4.	Deepak Kr. Mahto	MI, Arwal	[signature] 20/6/23
5.	MANISH KUMAR	Environment Consultant, Rian Enviro Private Limited, Patna.	[signature]
6.	RAVI RANJAN KUMAR	Environment Consultant Rian Enviro Pvt. Ltd Patna	Ravi 20.06.2023
7.	नीरज कुमार	अरवल	नीरज
8.	Ravi Singh	Arwal	[signature]
9.	मुकेश सिंह	ग्राम - अरवल सिपाह थाना अरवल 9304396248 जिला - अरवल	मुकेश सिंह

10.	मनु कुमार	करपी (अरवल) 7903921789	मनु कुमार
11.	सूरज	उमा 8434672377	[signature]
12.	विद्यासागर	खोरहरी	विद्यासागर
13.	रमेश यादव	प्रसादी इंग्लिश	रमेश यादव
14.	लोकेबिहारी सिंह	प्रसादी इंग्लिश	लोकेबिहारी सिंह
15.	संजय कुमार	रोजा पर	Sanjay Kr
16.	अभय कुमार	रोजापर	Abhay Kumar
17.	लालु कुमार यादव	खोरहरी	Lalu yadav
18.	अंकित कुमार	खोरहरी	Ankit Kumar
19.	सुधीर कुमार	हसनपुर	सुधीर कुमार
20.	राजेश कुमार	सराय इमियामानध	राजेश कु०

21.	शिव कुमार सिंह	डेरा बिगहा पत्ति कुमरा थाना परासी - अरवल	[illegible] Singh
22.	रानु पाण्डेय	दुना छपरा	रानु पाण्डेय
23.	राजीव रंजन	प्रसादि इमिलिया	Rajeev Ranjan
24.	सुनील कुमार	प्रसादि इमिलिया	सुनील कु०
25.	अरविन्द कुमार	सैदपुर आधा	Arvind Kumar
26.	शिव शंकर कुमार	रोजापर अरवल	Sheo Shankar Kumar
27.	राजु कुमार	दानापुर	Rajum.
28.	पप्पू कुमार राम	अरवल	Pappu [illegible]
29.	विनोद कुमार	दानापुर	विनोद कुमार
30.	चरित्र कुमार	सैदाबाद	चरित्र कुमार
31.	विजय कुमार	फतेहपुर रामपुरा	Vijay Kumar

32.	Anand Krishn	Fateh pur Sandu	Anand Kr
33.	संत कुमार	खोरखड़ी	संत कुमार
34.	Partik Kumar	Fatehpur Sandu	Prateik
35.	राजू कुमार	8051286331 रामपुर बैना	राजू कुमार
36.	पिन्टु सिंह	रामपुर बैना	पिन्टु सिंह
37.	धर्मेन्द्र कुमार	आरवल	Dharmendra
38.	Uddy Kumar	Fatehpur Sandu	[illegible]
39.	रुपेश कुमार	मिर्जा बिगहा	[illegible]
40.	मंडल यादव	खोरखड़ी 7703931601	Mandal yadav
41.	चितरंजन	ब्रह्मर्षि डिनरवरा 6299081326	Chitranjan
42.	पप्पु कुमार	अरवल 9931324344	[illegible]